संख्या-09 /2018/422/क0नि0प्र/26-3-2018-7(98)/2007

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, लखनऊः दिनांकः 20 मार्च,2018
समाज कल्याण विभाग

विषयः- उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार/जागरूकता कार्यक्रम हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 के पत्रांक-2868/लेखा/अनुभाग/2017-18 दिनांक 14-03-2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–05/2018/325/ क0नि0प्र0/26-3-2018-7(98)/2007 दिनांक 08 मार्च,2018 द्वारा उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार/जागरूकता कार्यक्रम के लिए वर्ष 2017-18 हेतु रू0 45,20,000/- (रू0 पैंतालिस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी है। उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च,2018 में उल्लिखित प्रस्तर-6 को निम्नानुसार पढ़ा एवं समझा जायः-

"6- इस स्वीकृति पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय- व्ययक की अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण,01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0113-उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा संचालित योजना के प्रचार-प्रसार/जागरूकता कार्यक्रम(के.100/रा.0-के.)-42- अन्य व्यय" के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उक्त शासनादेश संख्या–05/2018/325/क0नि0प्र0/26-3-2018-7(98)/2007 दिनांक 08 मार्च,2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च,2018 की शेष शर्ते यथावत् रहेगी।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

संख्या-09/2018/422(1)/क0नि0प्र0/26-3-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर,लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कैसरबाग,लखनऊ।
4- निदेशक,सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- वित्त(व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता)अनु0, उ0प्र0 शासन।
6- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।